

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी-श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या- 10/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/15

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना-कुचामन।		श्री नासीर पुत्र श्री मोहम्मद युसुफ निवासी डीडवाना मैसर्स तैयबा होटल नॉनवेज कायमनगर डीडवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में
जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थित:-

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री शिवराम
2. अप्रार्थी की ओर से श्री रामस्वरूप शर्मा अधिवक्ता।

—:आदेश:-

दिनांक : 17.02.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध
धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में
निम्न प्रकार है:-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1)
खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध
भण्डारण/व्यापार/दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान के तहत दिनांक 13.01.2025 को
प्रवर्तन निरीक्षक श्री शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह जाखड़ द्वारा
मैसर्स तैयबा होटल नॉनवेज कायमनगर डीडवाना पर आकस्मिक जाँच की कार्यवाही
की। मौके पर श्री नासीर पुत्र मोहम्मद युसुफ उपस्थित मिले, जिन्होंने दुकान का
निरीक्षण करवाया एवं बताया कि यह होटल श्री नासीर पुत्र मोहम्मद युसुफ संचालित
करते है। मौके पर दुकान में 01 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व्यवसायिक
दुरुपयोग/भण्डारण किये हुए पाये गये। श्री नासीर पुत्र मोहम्मद युसुफ से घरेलू गैस
के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे
में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार
का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने बयानों में स्वीकार किया श्री
नासीर पुत्र मोहम्मद युसुफ द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र
प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरुपयोग किये गये 01 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर
मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। किये गये
सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :-


जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन



क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	एच. पी.	603203-G	6.4 किग्रा

उपरोक्त 01 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स असमा गैस एच.पी., डीडवाना के प्रतिनिधि श्री अरबाज अहमद पुत्र श्री नसीम की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री नासीर पुत्र मोहम्मद युसुफ का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, - 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लंघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 01 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री रामस्वरूप शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री नासीर पुत्र मोहम्मद युसुफ द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर कुल 01 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को अस्मा गैस एच.पी. डीडवाना के प्रबन्धक श्री अरबाज पुत्र नसीब अहमद को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त गैस सिलेण्डर घरेलू गैस सिलेण्डर है जिनको मैसर्स होटल तैयबा कायम नगर डीडवाना पर रखा हुआ था। जिनका उपयोग घरेलू कार्य के लिए ही किया जाता है व्यवसायिक कार्य के लिए इन सिलेण्डरों का उपयोग नहीं किया जाता है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर मैसर्स होटल तैयबा कायम नगर डीडवाना पर रखे हुए थे जबकि होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डर रखना नियम विरुद्ध है। उक्त सिलेण्डर में 6.4 किग्रा. गैस थी जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त सिलेण्डर व्यवसायिक कार्य में ही उपयोग में लिये जा रहे थे। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री नासीर पुत्र मोहम्मद युसुफ के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर

जिला कलेक्टर
डीडवाना-कुचासन




अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confiscation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना-कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलेक्टर
डीडवाना-कुचामन
जिला कलेक्टर
डीडवाना-कुचामन